

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1643 / 2023


दिनांक : 20.05.2023

श्री आरुष त्रिपाठी (RJ01314), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-07, जयपुर महानगर-II को दिनांक 03.05.2023 से 04.05.2023 तक 02 दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री त्रिपाठी की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-08, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-07, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



19.05.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/66/2020/344\

दिनांक 20.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 2089 दिनांक 06.05.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री आरुष त्रिपाठी (RJ01314), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-07, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-07, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-08, जयपुर महानगर-II


20.05.2023
सहायक रजिस्ट्रार